

भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तर स्कंध / 2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar,
मुंबई / Mumbai-400 094.

सं.निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-4049/2025/
No.DCSEM/Enft/e-4049/2025/ 1709

मार्च March 24, 2025

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अणुशक्तिनगर में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने की लगातार घटनाओं के संबंध में।
Sub: Frequent incidents of minor children driving vehicles inside
Anushaktinagar - reg.

इस निदेशालय के संज्ञान में कई ऐसी घटनाएं आई हैं, जिनमें नाबालिग बच्चे अणुशक्तिनगर कॉलोनी में दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाते हैं। कई मामलों में, तीन से चार बच्चे बिना हेलमेट के पूरी गति से दोपहिया वाहन चलाते हैं, जिससे न केवल खुद को बल्कि अन्य निवासियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और सेहत को भी खतरा होता है।

Several incidents have been brought to the notice of this Directorate wherein minor children are riding two-wheelers and four-wheelers inside Anushaktinagar colony. In many cases, three to four children are riding a two-wheeler at full speed without helmet, posing a risk not only to themselves but also to the safety and well being of other residents, particularly children and elderly.

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के लोगों को किसी भी तरह का मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 181 के अनुसार, जो कोई भी धारा 4 का उल्लंघन करके मोटर वाहन चलाता है, उसे तीन महीने तक के कारावास या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

As per Section 4 of Motor Vehicles Act 1988, no person under the age of eighteen years shall drive a motor vehicle in any public place. As per Section 181 of Motor Vehicles Act 1988, whoever drives a motor vehicle in contravention of Section 4 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

3. ड्राइवरों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 128 के अनुसार, दो पहिया मोटर साइकिल का कोई भी चालक अपने अलावा एक से अधिक व्यक्ति को मोटर साइकिल पर नहीं ले जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को उचित सुरक्षा उपायों के साथ चालक की सीट के पीछे मोटर साइकिल पर सुरक्षित रूप से तय की गई उचित सीट पर बैठाने के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं ले जाया जाएगा। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019, जो कोई भी धारा 128 या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके मोटर चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उसे तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

As per Section 128 of Motor Vehicles Act 1988 regarding safety measures for drivers and pillion riders, no driver of a two-wheeled motor cycle shall carry more than one person in addition to himself on the motor cycle and no such person shall be carried otherwise than

sitting on a proper seat securely fixed to the motor cycle behind the driver's seat with appropriate safety measures. Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019, whoever drives a motor cycle or causes or allows a motor cycle to be driven in contravention of the provisions of section 128 or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with a fine of one thousand rupees and he shall be disqualified for holding licence for a period of three months.

4. सुरक्षात्मक हेडगेअर पहनने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आयु चार वर्ष से अधिक है और जो किसी वर्ग या विवरण की मोटर साइकिल को चला रहा है या उसकी सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो, तब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगेअर अर्थात् हेलमेट का उपयोग करना जरूरी है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, जो कोई भी धारा 129 या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करके मोटर वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, उसे एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उसे तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

As per Section 129 of Motor Vehicle Act 1988 regarding wearing of protective headgear - Every person, above four years of age, driving or riding or being carried on a motorcycle of any class or description shall, while in a public place, wear protective headgear conforming to such standards as may be prescribed by the Central Government. As per Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019, whoever drives a motor cycle or causes or allows a motor cycle to be driven in contravention of the provisions of section 129 or the rules or regulations made thereunder shall be punishable with a fine of one thousand rupees and he shall be disqualified for holding licence for a period of three months.

5. अत्यधिक गति से वाहन चलाने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 (1) को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ पढते हुए, जो कोई भी व्यक्ति या उसके द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रण में हो, मोटर वाहन चलाता है या चलाने का कारण बनता है, वह धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित तरीके से दंडनीय होगा:

- i) जहां ऐसा मोटर वाहन, जो हल्का मोटर वाहन है, तो जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है;
- ii) जहां ऐसा मोटर वाहन, जो मध्यम माल वाहन या मध्यम यात्री वाहन या भारी माल वाहन या भारी यात्री वाहन है, तो जुर्माना जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन चार हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है; और
- (iii) इस उप-धारा के तहत दूसरी बार पुनरावृत्ति या उसके बाद के अपराध के लिए ऐसे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस धारा 206 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार जब्त किया जाएगा।


As per Section 183 (1) of Motor Vehicles Act 1988 regarding driving at excessive speed, etc., read with Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019, whoever drives or causes any person who is employed by him or subjects someone under his control to drive a motor vehicle in contravention of the speed limits referred to in section 112 shall be punishable in the following manner:

- i) where such motor vehicle is a light motor vehicle with fine which shall not be less than one thousand rupees but may extend to two thousand rupees;
- ii) where such motor vehicle is a medium goods vehicle or a medium passenger vehicle or a heavy goods vehicle or a heavy passenger vehicle with fine which shall not be less than two thousand rupees, but may extend to four thousand rupees; and
- (iii) for the second or any subsequent offence under this sub-section the driving licence of such driver shall be impounded as per the provisions of the sub-section (4) of section 206.

6. इसलिए आबंटितियों/निवासियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे उनकी जानकारी के बिना उनके वाहन का उपयोग न करें। भले ही बच्चे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, उन्हें वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए बिना वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह आबंटितियों की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे यातायात नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक हों ताकि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल न हों जिससे उनकी खुद की जान या अन्य निवासियों की जान को खतरा हो।

Allottees/Residents are therefore requested to ensure that they do not allow their minor children to drive two-wheelers or four-wheelers. They are also requested to make certain that their children are not using their vehicles without their knowledge. Even if the wards are 18 years and above, they should not be allowed to drive without obtaining valid driving licence. It is the responsibility of the allottees to make sure that their children are aware about traffic rules and regulations so that they do not indulge in such activities which would result in threat to their own life and also to the life of other residents.

7. यह निदेशक, निसेसंप्रनि के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.


24-3-2025

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर एवं मुंबई में स्थित अन्य पऊवि कोलोनियों के सभी आबंटिती - अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु।

Allottees of Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

Copy to:

1. निदेशक का कार्यालय, निसेसंप्रनि।
Office of Director, DCSEM
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर।
Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. महासचिव, आरवा, मारवा, डब्लूएसआरडब्लूए।
General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. श्री जे.एन. नागराज, हेड आर्क (आर), निसेसंप्रनि एवं संयोजक, सड़क एवं यातायात सुरक्षा समिति।
Shri J.N. Nagraj, Head Arch (R), DCSEM & Convener, Road and Traffic Safety Committee.
5. श्री एस.एस. क्षीरसागर, ईआईसी, एसआर (ईजेड) एवं सदस्य, सड़क एवं यातायात सुरक्षा समिति।
Shri S.S. Kshirsagar, EIC, SR (EZ) & Member, Road and Traffic Safety Committee.
6. श्री के. बसु, ईआईसी, एसआर (डब्ल्यूजेड) एवं सदस्य, सड़क एवं यातायात सुरक्षा समिति।
Shri K. Basu, EIC, SR(WZ) & Member, Road and Traffic Safety Committee.
7. श्री सी.एन. कुचेकर, डीसीएसओ, सुरक्षा अनुभाग एवं सदस्य, सड़क एवं यातायात सुरक्षा समिति।
Shri C.N. Kuchekar, DCSO, Security Section & Member, Road and Traffic Safety Committee.
8. श्री अरुण, एमएस, जीबी एवं सदस्य सचिव, सड़क एवं यातायात सुरक्षा समिति।
Shri Arun, MS, GB & Member Secretary, Road and Traffic Safety Committee.
9. निसेसंप्रनि वेबसाइट।
DCSEM website.

Handwritten scribble or signature in blue ink, possibly containing the word "Lecture".